



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2009/आषाढ 30, 1931

No. 421]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2009/ASADHA 30, 1931

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभियोजन फाइल करने और उनका संचालन करने के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की श्रीमती इंद्रानी सेन चौधरी, ज्येष्ठ सहायक निदेशक और श्री शोभित गुप्ता सहायक निदेशक को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 3/5/2004-सीएल-V]

अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2009

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorizes Smt. Indrani Sen Chawdhuree, Senior Assistant Director, and Shri Shobhit Gupta, Assistant Director of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956.

[F. No. 3/5/2004-CL-V]

SAVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.